



2026:AHC:55297

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 2014 सन् 2026

विशाल यादव

.....आवेदक(आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों)

—
आवेदक(आवेदकों) के अधिवक्ता : अर्चना श्रीवास्तव, अरविंद कुमार श्रीवास्तव, वीरेंद्र सिंह
विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों) के अधिवक्ता : जी.ए.

—
न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति, राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए., बात सुना और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत पूरक शपथपत्र, अभिलेख में ले लिया गया है।
3. वर्तमान आवेदन मामला अपराध संख्या 80 सन् 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 61(2), 238 के अन्तर्गत, थाना- अलीनगर, जिला- चंदौली में अग्रिम जमानत पर रिहाई की प्रार्थना के साथ यह आवेदन दायर किया गया।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग करता है:-
 - (i) आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और प्रथम सूचना रिपोर्ट रवि यादव उपनाम दिग्विजय यादव, उमेश यादव उपनाम छोटू और दीपक यादव के विरुद्ध सूचनाकर्ता के प्रत्यक्षदर्शी कथन के आधार पर अभिलिखित की गई और मृतक पर हमला करने वाले आरोपी उमेश यादव को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
 - (ii) घटना के लगभग तीन महीने बाद हुई इस अन्वेषण के दौरान, मृतक की पत्नी का कथन पुलिस ने अभिलिखित किया, अपने कथन में, उसने बताया कि मृतक ने उसे बताया था कि रवि यादव, उमेश यादव उर्फ छोटू और विशाल यादव (आवेदक) का मृतक से किसी आर्थिक लेन-देन को लेकर झगड़ा हुआ

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



था। उसने आगे कथित तौर पर यह भी बताया कि आवेदक और सह-आरोपी मृतक को जान से मारने की साजिश रच रहे थे।

(iii) इसके बाद ही, पुलिस ने एक मनगढ़ंत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी झुलाई यादव को प्रस्तुत किया, जिसने आवेदक, सह-आरोपी उमेश यादव और सह-आरोपी रवि यादव को घटनास्थल पर बुलाया और मृतक पर ईंटों से हमला करने का आरोप लगाया। झुलाई यादव का कथन 12.6.2025 को अभिलिखित किया गया।

(iv) पुलिस ने अन्वेषण के दौरान सह-आरोपी उमेश यादव और रवि यादव के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया था और सह-आरोपी उमेश यादव और रवि यादव के विचारण के दौरान सूचनाकर्ता पी.डब्ल्यू.-1 को अभियोजन का पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था।

(v) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया और कहा है कि अन्वेषण के दौरान आवेदक का नाम सामने आया है। एक प्रत्यक्षदर्शी का कथन है, जिससे पता चलता है कि आवेदक मृतक की हत्या में सक्रिय रूप से संलिप्त था। आवेदक के कॉल डिटेल अभिलेख से भी पता चलता है कि घटना के समय वह अपराध स्थल के आसपास उपस्थित था। यद्यपि, विद्वान ए.जी.ए. इस तथ्य का खंडन नहीं कर पाए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. मैंने दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों का अध्ययन किया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित तौर पर सूचनाकर्ता द्वारा दिए गए प्रत्यक्षदर्शी कथन के आधार पर अभिलिखित की गई। सह-आरोपी रवि यादव को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या **27228** सन् **2025** (रवि यादव उपनाम दिग्विजय यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित एक आरोपी को ग्रामीणों ने घटनास्थल पर ही पकड़ लिया था, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रत्यक्षदर्शी कथन का समर्थन करता है। झुलाई का प्रत्यक्षदर्शी कथन अत्यधिक विलंबित है। अपने संस्मृति कथन में भी आरोपी उमेश यादव उपनाम छोटू ने आवेदक का नाम नहीं लिया है। विचारण के दौरान सूचनाकर्ता पक्षद्रोही हो गया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. उपरोक्त वाणित मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि सह-आरोपी के विचारण में सूचनाकर्ता पक्षद्रोही हो गया, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

9. उपरोक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. आवेदक-विशाल यादव की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मामला अपराध में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी /न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के एक व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो प्रतिभूओं निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रस्तुत करें:-

i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

iii. कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. कि आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा नहीं;

11. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय के लिए हैं और इन्हें मामले की गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

18 मार्च, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति, राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"